भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
मौखिक प्रश्न संख्या: 66
गुरुवार, 23 जुलाई, 2026/1 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

उड़ान संचालनों की निगरानी

***66 श्री चन्द्र प्रकाश जोशी:**
श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतराव:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा वर्ष 2026 के दौरान उड़ान संचालनों की निगरानी और आवेक्षण को सुदृढ़ करने के लिए की गई प्रमुख पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उड़ान संचालनों की वास्तविक समय पर निगरानी करने और घटनाओं की सूचना देने के लिए कोई डिजिटल प्रणाली शुरू की गई है या उसका उन्नयन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विमान कंपनियों और विमानपत्तनों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) क्या सुरक्षा संबंधी कमियों के संबंध में कोई आकलन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्री (श्री किंजरापु राममोहन नायडू)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

"उड़ान संचालनों की निगरानी" के संबंध में श्री चन्द्र प्रकाश जोशी एवं श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतराव द्वारा पूछे गए दिनांक 23.07.2026 के लोक सभा मौखिक प्रश्न संख्या 66 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क(: नागर विमानन महानिदेशालय)डीजीसीए(के पास सभी विमानों और हवाईअड्डा प्रचालकों को शामिल करते हुए नियमों और नागर विमानन अपेक्षाओं)सीएआर(के अनुपालन की निगरानी के लिए एक व्यवस्थित सुरक्षा निरीक्षण तंत्र है। सुरक्षा निरीक्षण प्रक्रिया में नियामक संपरीक्षाएं, रात्रि निगरानी, रैंप निरीक्षण, स्पॉट चेक्स और विशेष संपरीक्षाएं शामिल हैं। नागर विमानन महानिदेशालय अपनी वेबसाइट पर वार्षिक निगरानी योजना)एएसपी(प्रकाशित करता है। संपरीक्षाओं, निगरानी और स्पॉट चैक्स के निष्कर्षों के अनुपालन हेतु संबंधित प्रचालक के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

इसके अलावा, प्रचालक द्वारा की गई कार्रवाई के अनुपालन को अगली संपरीक्षा/निगरानी के दौरान सत्यापित किया जाता है। संपरीक्षा/निगरानी के दौरान पाए गए नियमों के किसी भी उल्लंघन या अननुपालन के मामले में, नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा वित्तीय जुर्माना लगाने सहित प्रवर्तन कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा, 19 जून 2025 के सामान्य सुरक्षा परिपत्र 01/2025 के संदर्भ में विभिन्न स्पॉट चैक्स किए गए हैं, जिसमें पूरे भारतीय विमानन पारिस्थितिकी तंत्र की "व्यापक विशेष संपरीक्षा" शुरू की गई है। इन संपरीक्षाओं में)i) बहु-विषयक और जोखिम-आधारित)ii) सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों, अनुपालन और परिचालन पहलुओं का मूल्यांकन और)iii) निष्कर्ष-आधारित सुधारात्मक कार्रवाई और निगरानी तंत्र, शामिल हैं।

नागर विमानन महानिदेशालय ने अग्रिम तैयारी और विशेष संचालन नियमों के समय पर अनुपालन के संबंध में 11 दिसंबर 2025 को सामान्य सुरक्षा परिपत्र 02/2025 भी जारी किया है।

(ख(: नागर विमानन महानिदेशालय, नियम 29ङ और नागर विमानन अपेक्षाएं, खण्ड-5, श्रृंखला-ग, भाग-I के तहत घटना की रिपोर्टिंग को अनिवार्य करता है। नागर विमानन महानिदेशालय वर्तमान में ईजीसीए पोर्टल पर घटना की रिपोर्टिंग के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू करने की प्रक्रिया में है ताकि घटना की अनिवार्य रिपोर्ट को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत और प्रोसेस किया जा सके, जिससे घटना की रिपोर्टिंग की समयबद्धता और दक्षता में सुधार हो सके।

(ग(: अंतरराष्ट्रीय विमानन सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित एयरलाइनों और हवाईअड्डों पर किए गए उपायों का विवरण संलग्न किया गया है।

(घ(जब भी कोई संशोधन लागू होता है तो नागर विमानन महानिदेशालय लागू समय-सीमा के भीतर वैश्विक सर्वोत्तम कार्य-पद्धतियों के अनुरूप लगातार कार्रवाई करता है। नागर विमानन महानिदेशालय के विभिन्न निदेशालयों के लिए वार्षिक निगरानी कार्यक्रम)एएसपी-2026), सुरक्षा निरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार तैयार किया गया है। वार्षिक निगरानी कार्यक्रम-2026 की परिकल्पना वर्ष 2026 के दौरान नागर विमानन महानिदेशालय के सुरक्षा निरीक्षण दायित्वों को पूरा करने के लिए की गई है। संपरीक्षाओं

और निरीक्षणों के दौरान देखी गई कमियों को सुधारात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित प्रचालकों को सूचित किया जाता है। प्रचालक द्वारा की गई अनुपालनात्मक कार्रवाई को अगली संपरीक्षा/निगरानी के दौरान सत्यापित किया जाता है।

अनुलग्नक

अंतरराष्ट्रीय विमानन सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपाय निम्नानुसार हैं:

क.हवाईअड्डों पर किए गए उपाय:

i. डीजीसीए ने आईसीएओ एनेक्स-14 में निहित मानक और अनुशंसित कार्य-पद्धितियों (एसएआरपी) के अनुरूप नागर विमानन अपेक्षाएं, खण्ड-4, श्रृंखला-बी, भाग-I और नागर विमानन अपेक्षाएं, खण्ड-4, श्रृंखला-च, भाग-I के लागू प्रावधानों के अनुपालन का सत्यापन करने के बाद एयरोड्रोम लाइसेंस जारी किए हैं।

ii. एयरोड्रोम ऑपरेटर एयरोड्रोम लाइसेंस की वैधता के दौरान हवाईअड्डों को उपयुक्त स्थिति में बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं।

iii. नागर विमानन महानिदेशालय नियामक आवश्यकताओं के निरंतर अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक निगरानी निरीक्षण करता है।

iv. एयरोड्रोम ऑपरेटरों को एक सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस) को लागू करना और आवश्यक सुरक्षा अवसंरचना और सेवाओं को बनाए रखना अपेक्षित है, जिसमें बचाव और अग्निशमन (एआरएफएफ), आपातकालीन प्रतिक्रिया, वन्यजीव प्रबंधन, बाधा सीमा सतहें आदि शामिल हैं।

v. निरीक्षण के दौरान निकाले गए निष्कर्षों की समय पर सुधारात्मक कार्रवाई के लिए निगरानी की जाती है, और उल्लंघनों के मामले में डीजीसीए द्वारा उचित प्रवर्तन कार्रवाई की जाती है।

ख. अनुसूचित एयरलाइनों द्वारा उठाए गए कदम:

i. खतरे की पहचान, जोखिम मूल्यांकन और सुरक्षा प्रदर्शन निगरानी के लिए एक सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस) का कार्यान्वयन।

ii. आवधिक आंतरिक और बाहरी सुरक्षा संपरीक्षा का संचालन, जिसमें आईएटीए परिचालन सुरक्षा संपरीक्षा (आईओएसए - जहां लागू हो) और डीजीसीए निगरानी का अनुपालन शामिल है।

iii. अनुमोदित रखरखाव कार्यक्रमों और निरंतर उड़नयोग्यता आवश्यकताओं के अनुसार विमान का रखरखाव।

iv. फ्लाइट क्रू, केबिन क्रू, रखरखाव कर्मियों और अन्य परिचालन कर्मचारियों के लिए नियमित प्रारंभिक और आवर्ती प्रशिक्षण।

v. सुरक्षा रिपोर्टिंग को बढ़ावा देना, घटनाओं की जांच करना और सुधारात्मक कार्यों का कार्यान्वयन।

vi. आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाओं (ईआरपी) का रखरखाव और सुरक्षा प्रदर्शन की निरंतर निगरानी और सुधार।
